10/3/25 पत्रावली पेशी में ली गई। बहस आपति विभाजन पूर्व में सुनी जा चुकी है। आपति प्रार्थना पत्र व जवाब आपत्ति का अवलोकन किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र की दफा 5 में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कब्जाकाश्त भूमि में नेशनल हाईवे सड़क का निर्माण किए जाने का अंकन किया है जबकि साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। तहसील हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव RTA (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के तहत पेश किया है जिसके अनुसार :—

(क) प्रत्येक काश्तकार को आवंटित किए गये भाग का मूल्य उसी कीमत में होगा जितना की उसका हिस्सा कृषि जोत में था।

(ख) संभवतः आवंटित भाग कॉम्पेक्ट होगा।

(ग) संभवतः विद्यमान क्षेत्रों को हिस्सों में नहीं बांटा जायेगा।

(घ) जहां तक संभव हो, प्लॉट जो कि आराजी के अलग कब्जे में हो, उनको आराजी को ही आवंटित कर दिये जायेंगे जब तक की वे उसके हिस्से से अधिक न हो।

अतः तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उक्त नियमों के अनुरूप होने के कारण आपती अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा आपती अस्वीकार की जाती है। [illegible] मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के बादहू डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested